फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [illegible] मुकाम डूंगरपुर

बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा

नम्बर 61/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/5/18	[illegible] प्रतिवादी जरीये सम्मन तलब हों। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 23/5/18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी डूंगरपुर	
23/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त जो शामिल पत्रावली है। बावजूद सूचना के अप्रार्थी अनुपस्थित अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि ग्राम धाणी धटाऊ पटवार हल्का फलोज त० डूंगरपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खसरा सं. 108 नया 102 पुराना के खसरा नं. 143, 144, 145, 146 एवं 225 कुल किता 5 रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा के प्रार्थीगण 1 से 5 रिकॉर्ड खातेदार हैं। उक्त खाते की भूमि में से खसरा नं. 225 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से वादग्रस्त भूमि के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	संबंध मे एक वाद इस न्यायालय मे पेशकार है जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष मे है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने से सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष मे है। वकील प्रार्थी ने आगे बताया कि प्रार्थीगण सं. 3 से 5 तक की खसरा नं. 225 की मौखिक बंटवारा अनुसार कब्जे की भूमि पर विपक्षी सं. 1 अतिक्रमण कर मकान बनाना चाहता है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे अपूरणीय क्षति होगी। हमने पत्रावली की उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम धाणी इटाऊ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 की प्रमाणित प्रति अनुसार प्रार्थीगण सं. 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है। वकील प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कब्जा होना जाहिर किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है। अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम इटाऊ (तापीजलावाद धाणी) पटवार हल्का फलोज तह० डूंगरपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं 108 तथा 102 पुराना के खसरा नं. 225 की वादग्रस्त भूमि	

पर विपक्षी सं. 1 किसी प्रकार अतिक्रमण एवं निर्माण कार्य
स.1से 6
न करे नहीं किसी अन्य से करावे, प्रार्थीगण की कृषि भूमि
पर काश्त एवं उपभोग /उपयोग मे बाधा उत्पन्न न करे।
निर्णय आज दिनांक 23/5/18 को खुले न्यायालय मे
सुनाया गया।

पत्रावली फैसला अनुसार लेकर नम्बर से कम की जावे।

SDO.